दिल्ली विधान सभा सचिवालय
समाचार भाग-2

विधायो तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी
मंगलवार, 15 अक्तूबर, 1996 / आश्विन 23, 1918(शक)

संख्या : 294

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा द्वारा कथित विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के मामले के संबन्ध में श्री दीप चंद बन्धु और श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी से प्राप्त सूचना पर दी गई व्यवस्था

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा ने, श्री दीप चन्द बन्धु और श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी द्वारा दसवें सत्र के प्रथम भाग में माननीय मुख्य मंत्री तथा समाज कल्याण मन्त्री के विरूद्ध सदन के विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना के बारें मे दी गई सूचना पर निम्नलिखित व्यवस्था दी है :-

"विगत सत्र में 31 जुलाई, 1996 को श्री दीप चन्द बन्धु और श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी ने माननीय मुख्य मन्त्री और समाज कल्याण मन्त्री के विरूद्ध सदन के विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना की सूचना दी थी । अपनी सूचना में उन्होंने कहा था कि "श्री एस. पी. रातावाल द्वारा दिनांक 24. 7. 96 और 25. 7. 96 तथा श्री साहिब सिंह, मुख्य मन्त्री द्वारा दि. 26. 7. 96 को निर्मल छाया (नारी निकेतन) की एक संवासिनी के साथ कथित बलात्कार के सम्बन्ध में दिया गया वक्तव्य गलत था और उन्होंने सदन को गुमराह किया है ।"

मैने संसद व राज्य विधान मण्डलों के नियमों, स्थापित प्रक्रियाओं और परम्पराओं और पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिये गए निर्णयों के संदर्भ में इस मामले की पूरी जाँच की है । इस सम्बन्ध मे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन में दि. 10 मार्च, 1964, 18 अप्रैल, 1966 और 2 दिसम्बर, 1974 को दी गई निम्नलिखित टिप्पणी यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक है :-

"सदन के विशेषाधिकार हनन और अवमानना का मामला बनाने के लिए यह साबित करना जरूरी होता है कि दिया गया वक्तव्य न केवल गलत अथवा भ्रामक ही था बल्कि यह जानबूझकर सदन को गुमराह करने के लिए दिया गया था। विशेषाधिकार हनन तब ही हो सकता है, जब कोई सदस्य अथवा मन्त्री "स्वेच्छा से सायास और जानबूझकर कोई गलत अथवा असत्य वक्तव्य देता है ।"

...2/-

श्री बन्धु और श्री बिधूड़ी द्वारा दी गई सूचना की विषय वस्तु को पढ़ने के बाद मैंने यह पाया कि दोनो माननीय सदस्यों ने गलत और गुमराह करने वाले वक्तव्यों को विशेष तौर पर कहीं इंगित नहीं किया और केवल यह कहकर कि माननीय मुख्य मंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री ने गलत और गुमराह करने वाला वक्तव्य दिया था, उन्होंने केवल तत्वहीन टिप्पणी की है । उनकी सूचना में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है कि यह वक्तव्य पहले से सोचकर, सायास और जानबूझकर दिया गया था ।"

दूसरी ओर माननीय मुख्य मंत्री और समाज कल्याण मंत्री ने यह सुस्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, वह पूर्ण रूप से ठीक और सत्य है । विशेष रूप से मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को केवल इसी रूप में लिया जाना चाहिये कि "जितनी भी सूचना उपलब्ध थी, उन्होंने कुछ भी बिना छुपाए उसे सदन के समक्ष रख दिया था ।"

मेरा ध्यान लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 2 फरवरी, 1980 और 7 सितम्बर, 1981 को दिये गये एक और निर्णय की ओर भी दिलाया गया है जिसमें एक तथाकथित गलत वक्तव्य का हवाला देते हुए उन्होंने व्यवस्था दी थी कि -

> "मंत्री द्वारा दिया गया गलत वक्तव्य विशेषाधिकार के हनन का आधार नहीं बन सकता है । केवल जानबूझ कर बोला गया झूठ हो, यदि उसे सिद्ध किया जा सकता हो, ऐसा अपराध विशेषाधिकार हनन के मामले के दायरे में अवश्य आ जायेगा ।"

चूंकि इस मामले में, स्वेच्छा से, पहले से सोचकर, किसी भी तरह का गलत अथवा गुमराह करने वाला वक्तव्य न तो दिया गया है, न सिद्ध किया गया है और न ही इस बात पर कोई मामला बनाया गया है कि यह वक्तव्य सायास और जान-बूझकर दिया गया था, अतः माननीय मुख्य मंत्री एवं समाज कल्याण मंत्री द्वारा सदन के विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना का निश्चित रूप से कोई भी मामला नहीं बनता है । मेरे विचार में, उपर्युक्त निर्णयों और टिप्पणियों के आधार पर इस नोटिस को स्वीकृति नहीं दी जा सकती, इसलिये मैं दिल्ली विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के अंतर्गत इसे अमान्य घोषित करता हूं ।

ह0/-
धरती लाल गोयल
अध्यक्ष
दिल्ली विधान सभा"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART - II
(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, October 15, 1996/Ashvina 23, 1918 (Saka)

No.294

## RULING BY HON'BLE SPEAKER ON NOTICE OF BREACH OF PRIVILEGE AND CONTEMPT OF THE HOUSE GIVEN ON BY SHRI DEEP CHAND BANDHU AND SHRI RAMVIR SINGH BIDHURI.

Hon'ble Members are informed that Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha has given the following ruling on the notice of breach of Privilege and Contempt of House given during the First Part of the Tenth Session by Sh. Deep Chand Bandhu and Sh. Ramvir Singh Bidhuri against Hon'ble Chief Minister and Minister of Social Welfare :

" In the first part of the Tenth Session on 31st July, 1996, Shri Deep Chand Bandhu and Shri Ramvir Singh Bidhuri had given a notice of Breach of Privilege and Contempt of the House against Hon'ble Chief Minister and the Minister of Social Welfare. In their notice, they had stated that "the statements made by Shri S.P. Ratawal on 24.7.96 and 25.7.96 and by Shri Sahib Singh, Chief Minister on 26.7.96 regarding alleged rape on one of the inmates of Nirmal Chhaya (Nari Niketan) was incorrect and he has misled the House".

I have examined this case in its entirety with reference to the rules, established practices and conventions in Parliament and State Legislatures and the rulings given by the Presiding Officers. In this connection, the following observations of Lok Sabha Speaker made in the House on 10th March, 1964, 18th April, 1966 and 2nd December, 1974 are worth quoting :

Contd..2/...

> "In order to constitute a breach of privilege or contempt of the House, it has to be proved that statement was not only wrong or misleading but it was made deliberately to mislead the House. A breach of privilege can arise only when the member or the Minister makes a false statement or an incorrect statement wilfully, deliberately and knowingly".

From the contents of the notic given by Shri Bandhu and Shri Bidhuri, I find that they made only bald observations that an incorrect and misleading statement was made by the Hon'ble Chief Minister and the Minister of Social Welfare without specifically pointing out the incorrect and misleading part of it. Their notice nowhere states that such a statement was made "wilfully, deliberately and knowingly". On the other hand Hon'ble Chief Minister and Minister of Social Welfare have categorically stated that the statement made by them was correct and truthful in toto. Hon'ble Chief Minister's statement in particular has to be taken on its face value that "whatever information was available, he placed before the House without concealing anything".

My attention has been drawn to yet another ruling given by the Lok Sabha Speaker on 2nd February, 1980 and 7th September 1981 in which referring to an alleged incorrect statement he had observed :

> "Incorrect statement made by minister cannot make any basis for a breach of privilege; it is only a deliberate lie, if it can be substantiated, that would certainly bring the offence within the meaning of breach of privilege".

Since in the instant case, no incorrect or misleading statement has been made or established nor a case has been made out that it was done wilfully, deliberately and knowingly, there arises absolutely no case of breach of privilege or contempt of House by the Hon'ble Chief Minister and Minister of Social

Welfare. The notice, in my view, based on the rulings and observations made above is not fit for giving consent, I, therefore, declare the same as inadmissible under Rule 66 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Delhi Legislative Assembly.

Sd/-
CHARTI LAL GOEL
SPEAKER
DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY"

P.N. GUPTA
SECRETARY